24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश [illegible] क्रमांक न्याय/विविध 2025/42033 दिनांक [illegible] 02-2025 की पालना में [illegible] सहायक कलेक्टर [illegible] 300/25 [illegible] की सुनवाई हेतु दिनांक 26/6/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

30/6/25 श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विविध/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] की पत्रावलिया अंतरित [illegible] 53,88,88,92क,183,188 [illegible] तलब किया [illegible] होकर वास्ते सुनवाई [illegible] आकर कार्यवाही [illegible] का सम्पादन [illegible] धारा 21 [illegible] 30/6/25 में [illegible] वास्ते सुनवाई [illegible]

आमा
दिरोली

पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। पटवारी हल्का उप.। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जांच पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी रतना। सं. 6 कालू पिता भागीरथ बलाई द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा पंजीकृत बख्शीशनामा से लादू पिता लाला बलाई के पक्ष में अंतरित किया जा चुका है साथ ही उक्त पंजीकृत बख्शीशनामे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नामान्तरण सं. 750 नि.दि. 19/3/12 को किया जा चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कालू पिता भागीरथ बलाई के नाम भूमि मकबूजा नहीं है। पैरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में ग्राम मनकड़ी की आराजी नं. 180, 181, 182, 183, 184 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5603 है. भूमि में वसीयतनामा

—— लगातार ——

30/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 30/9/2015 के आधार पर बालू पिता भागीरथ बलाई की भूमि अपने नाम दर्ज कराने एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं- 5 बालू पिता भागीरथ बलाई द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण 1/5 हक हिस्सा अपने जीवनकाल में वसीयतनामा लिखे जाने से पूर्व ही जरिये पंजीकृत समझौता मन्तारित कर दिया गया था। अतः प्रतिवादी सं- 5 वादग्रस्त भूमि में अपने अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (XII) के अन्तर्गत निर्वापित कर चुका था। अतः प्रतिवादी सं. 5 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त किया जाना प्रथम दृष्टया सम्भव नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नक्शा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 30/9/25 **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	